।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ।।

:: दिनांक 16.11.2022 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 16.11.2022 को महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्रीमती मालिनी अग्रवाल, अति. महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
2. डॉ. सौम्या झा संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
3. श्री विक्रम सिंह, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
4. श्री बी.पी. चन्देल, उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर। — सदस्य

निम्न 02 बंदियों के खुला बंदी शिविर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये :-

बंदी का नाम मय पिता	निरूद्ध कारागृह	याचिका संख्या	निर्णय दिनांक	प्राप्ति दिनांक
जितेन्द्र मीणा उर्फ जितू पुत्र रामलाल मीणा	के.का. जयपुर	546/2022	09.11.2022	14.11.2022
रघुवीर पुत्र शंकरिया	के.का. अलवर	1522/2021	31.03.2022	14.11.2022

स्वीकृत प्रकरण का विवरण:-

1. रघुवीर पुत्र शंकरिया, के.का.अलवर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2021 तक 10 वर्ष 02 माह 13 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 10.03.2022 को आयोजित बंदी खुला शिविर समिति की बैठक में बंदी के प्रकरण पर विचार कर बंदी के मानसिक रोगी होने के कारण प्रकरण अस्वीकृत किया गया था।

माननीय न्यायालय द्वारा बंदी के प्रकरण पर विचार कर दो माह में निस्तारण करने हेतु आदेशित किया है।

बंदी वर्तमान में भी मानसिक रोगी है एवं बंदी की आयु 80 वर्ष है।

अत: बंदी की अधिक आयु (80 वर्ष) एवं मानसिक रोग को देखते हुए यदि कोई अन्य व्यक्ति साथ रहने को तैयार हो तो शपथ पत्र देने की शर्त पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **रघुवीर पुत्र शंकरिया** को खुला बंदी शिविर में भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

अस्वीकृत प्रकरण का विवरण :-

1. जितेन्द्र मीणा उर्फ जीतू पुत्र रामलाल, के.का.जयपुर

बंदी द्वारा दिनांक 08.11.2022 तक 07 वर्ष 01 माह 25 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी खुला शिविर के लिए दिनांक 31.12.2021 की स्थिति में बनायी गयी वरिष्ठता सूची के अनुसार उस समय बंदी द्वारा 06 वर्ष 03 माह की सजा ही भुगती गई थी जबकि आजीवन कारावास की सजा होने के कारण नियमानुसार न्यूनतम 06 वर्ष 08 माह की सजा भुगते जाने पर ही बंदी, खुला शिविर के लिए पात्र होता है। इसलिए बंदी के प्रकरण पर विचार नहीं किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 08.11.2022 तक 07 वर्ष 01 माह 25 दिवस की सजा मय परिहार के भुगत ली गई है। किन्तु बंदी के विरूद्व माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश जयपुर के प्रकरण संख्या 1323/2019 अंतर्गत धारा 336,307 आई.पी.सी. (जमानत पर) विचाराधीन है।

> राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 की उद्देशिका में अंकित है कि-चूंकि राजस्थान के सिद्धदोषों में अच्छे आचरण, कार्य के संतोषजनक निष्पादन, एवं स्व-अनुशासन जीवन को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से **खुली हवा शिविरों में सिद्धदोषों को भेजने** के लिए नियम बनाना, तथा इन सिद्धदोषों को पूर्व-रिहाई प्रदाय करने के लिये, सामाजिक समायोजन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता सिखाने के अवसर प्रदान करने के लिये, नियम बनाये जाना आवश्यक है।

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत **केवल दण्डित बंदियों को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने का प्रावधान है** जबकि बंदी अन्य 01 प्रकरण (जिसमे वह जमानत पर है) विचाराधीन है।

अतः उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **जितेन्द्र मीणा उर्फ जीतू पुत्र रामलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

सदस्य	सदस्य	सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।	महानिरीक्षक कारागार राजस्थान , जयपुर।	संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर।	अति. महानिदेशक कारागार राजस्थान जयपुर।	महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।